कार्यवृत्त

गुरुवार, 26 कार्तिक, शक संवत्, 1938

(दिनांक 17 नवम्बर, 2016 ई0)

खण्ड–46
अंक–1

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, गैरसैंण में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत ''वन्दे मातरम्'' से आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठसीन होते ही नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के अन्य मा0 सदस्य राजधानी के परिप्रेक्ष्य में गैरसैंण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होने के सम्बन्ध में नियम 310 की अपनी सूचना को लिए जाने की मांग को लेकर अपनी बात जोर–जोर से कहने लगे। उनका कहना था कि गैरसैंण में विधान भवन परिसर को गेस्टहाउस घोषित कर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने नेता सदन से इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया। नेता सदना ने कहा कि राज्य की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए गैरसैंण में भव्य विधान भवन का निर्माण किया गया है तथा यह गेस्टहाउस बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। श्री अध्यक्ष जी ने कहा कि माननीय सदस्य प्रश्नकाल होने दें। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वह तथा विपक्ष के अन्य मा0 सदस्य स्थान ग्रहण कर रहे है परन्तु इस बारे में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये। प्रश्न संख्या 08 के उत्तर दिए जाने के दौरान प्रदेश में भोजनमाताओं के मानदेय बढ़ाने के संबंध में मा0 मंत्री के उत्तर से संतुष्ट न होन पर भाजपा के मा0 सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त निम्न सभी 07 सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूं।

1	श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	प्रदेश के सामान्य विद्यालयों को आदर्श विद्यालय में परिवर्तित करने पर व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में।
2	श्री पूरन सिंह फर्त्याल	जनपद चम्पावत के लोहाघाट के कालीढेक में झील निर्माण किये जाने के संबंध में।
3	श्री चन्दन रामदास	विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में चाय फैक्ट्री बन्द होने से कर्मचारियों एवं मजदुरों में व्यप्तअ संतोष के संबंध में।
4	श्री गणेश जोशी	विधान सभा क्षेत्र मसूरी के भटवेड़ी पट्टी को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग के संबंध में।
5	श्री बिशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना के अन्तर्गत न्वाली में गम्भीर पेयजल संकट के बंबंध में।
6	श्री मदन कौशिक	वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुसूचित उपयोजन के अन्तर्गत विकास खण्ड रुड़की, लक्सर हेतु स्वीकृत धनराशि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में व्यय न किए जाने के संबंध में।
7	श्री आदेश चौहान	जनपद हरिद्वार स्थित सिडकुल में कर्मचारी भविष्य निधि संगंठन का कार्यालय खोले जाने की मांग के संबंध में।

सभी सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी गई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि नियम–310 के अन्तर्गत आज तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से वे प्रदेश में लगातार हो रहे पलायन के कारण उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना को नियम–58 में सुन लेंगे। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

नियम–310 की अपनी सूचनाओं को स्वीकार किए जाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा के अन्य मा0 सदस्य जोर जोर से अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य सचिव, विधान सभा ने रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य सचिव ने विधान सभा, हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा ने उत्तराखण्ड तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन वर्ष 2016 सदन पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा ने सरकारी आश्वासन समिति, उत्तराखण्ड तृतीय विधान सभा की सरकारी आश्वासन समिति का पच्चीसवां एवं छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य सचिव, विधान सभा ने सदन के अनुसमर्थन हेतु प्राप्त संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य राजस्व मंत्री ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–112 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार'' नियमावली का प्रथम एवं द्वितीय भाग को सदन के पटल पर रखा।

नियम–310 की अपनी सूचनाओं को स्वीकार किए जाने की मांग को लेकर भाजपा के कुछ मा0 सदस्य जोर जोर से अपनी बात कहते हुए वैल में आ गये जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के लेखाओं की लेखा परीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता से सम्बन्धित वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे (खण्ड–I एवं खण्ड–II) को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक– महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन एवं '31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या–01)'' एवं राज्य के वित्त पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य सचिव, विधान सभा घोषित किया कि

(1) उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 जुलाई, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 जुलाई, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 जुलाई, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का सोलहवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड बेनामी लेन–देन (प्रतिषेध) विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 अगस्त, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 अगस्त, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 अगस्त, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का बीसवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2016 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2016 का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा का नाम कार्यसूची में ण्दने नाम के सम्मुख अंकित याचिका उपस्थित करने हेतु पुकारा गया परन्तु मा0 सदस्य द्वारा याचिका प्रस्तुत नहीं की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के विकास खण्ड बागेश्वर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय काण्डा को मार्डन स्कूल की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में" श्री वीरेन्द्र सिंह नगरकोटी, चौकी काण्डा, विकास खण्ड बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज सनगाड में एन0सी0सी0 की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में" श्री लक्ष्मण सिंह महरा, ग्राम व पो0 सनगाड, विकास खण्ड कपकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर में राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज काण्डा में एन0सी0सी0 की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में" श्री भगवान सिंह माजिला, ग्राम पंगचौडा पो0 काण्डा, विकास खण्ड व जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के राजकीय बालिका इण्टर मीडिएट कालेज काण्डा में इण्टर स्तर पर गणित विषय की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में" श्री आलम सिंह मेहरा, ग्राम काण्डे कन्याल पो0 काण्डा, विकास खण्ड व जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज सानिउडियार में इण्टर स्तर पर विज्ञान विषय की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में" श्री होशियार सिंह धामी, ग्राम बेडा तलडा पो0 सानिउडियार, विकास खण्ड व जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के राजकीय इण्टर मीडिएट कालेज काण्डा का नाम शहीद वीरचक्र एंव जंगी ईनाम आई0ओ0न0 61341 जमादार स्व0 श्री धन सिंह रौतेला के नाम पर रखे जाने के सम्बन्ध में" श्री भगवान सिंह माजिला, ग्राम व पो0 काण्डा, विकास खण्ड व जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने''जनपद बागेश्वर के राजकीय महाविद्यालय काण्डा में बी0 ए0 कक्षा में विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में" श्री वीरेन्द्र सिंह नगरकोटी, ग्राम चौकी पो0 काण्डा, विकास खण्ड व जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के राजकीय महाविद्यालय काण्डा में एम0 ए0 स्तर पर कक्षायें संचालित करने व अँग्रेजी विषय की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में" कु0 किरन नगरकोटी, ग्राम ढोलागॉव पो0 काण्डा, विकास खण्ड व जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर में ग्राम पंचायत बहाली में आँगनबाडी केन्द्र की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में" श्री नारायणदत्त पाण्डे, ग्राम बहाली (छिडिया) पो0 घिघारतोला, विकास खण्ड व जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''प्रदेश में विकासखण्डों के पुर्नगठन कराये जाने के सम्बन्ध में "श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य सहकारिता मंत्री ने श्री यतीश्वरानन्द, मा0 सदस्य विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रकिया संबंधी निदेश संख्या–162 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 21 जुलाई, 2016 के संबंध में शोधन वाक्तव्य दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य गृह मंत्री ने उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य गृह मंत्री, ने उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

पंचायती राज मंत्री ने उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य पंचायती राज मंत्री ने उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य मुख्यमंत्री, ने उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य राजस्व मंत्री ने उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य राजस्व मंत्री ने उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य न्याय एवं विधि परामर्शी मंत्री ने उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य न्याय एवं विधि परामर्शी मंत्री ने उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने क्वांटम विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने क्वांटम विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 अक्टूबर, 2016 की बैठक में दिनांक 17 तथा 18 नवम्बर, 2016 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

नवम्बर, 2016

17 गुरूवार

(1) अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना।

(2) औपचारिक कार्य।

(3) विधायी कार्य।

1–रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

2–हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

3–उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2016 के विचार एवं पारण हेतु तिथि एवं समय निर्धारण पर विचार एवं पारण । **(15 मिनट)**

4–उत्तराखण्ड कूड़ा फैंकना एवं थूकना प्रतिषेध विधेयक, 2016 के विचार एवं पारण हेतु तिथि एवं समय निर्धारण पर विचार। **(15 मिनट)**

5– संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण–

''यह सदन 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक (ख) एवं (ग) के क्षेत्रान्तर्गत 'संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014' द्वारा प्रस्तावित संशोधन, जैसा कि भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तथा जिस पर माननीय राष्ट्रपति की अनुज्ञा प्राप्त हो गयी है, का अनुसमर्थन करता है'।

(4) वित्तीय वर्ष 2016–17 की अनुपूरक अनुदान का प्रस्तुतीकरण– अपराह्न 04:00 बजे

18 शुक्रवार (1) विधायी कार्य।

(2) असरकारी कार्य।

1. <u>सरकारी संकल्प</u>

(1) माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा एवं विचार **(10 मिनट)**

''राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल के कृषि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके, जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके अपितु ये उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ–साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।''

(2) माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा एवं विचार **(10 मिनट)**

''राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गो के प्रत्येक छात्र–छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वे अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।''

2. <u>असरकारी संकल्प</u>

(1) श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा एवं विचार **(10 मिनट)**

'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बन्दरों की जनसंख्या को कम करने के लिए एक अलग से नीति बनायी जाये।''

(2) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा एवं विचार **(10 मिनट)**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी नीति हेतु इस सदन की समिति बनायी जाये।''

(3) श्री महावीर सिंह रांगड, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा एवं विचार **(10 मिनट)**

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के विकेन्द्रीयकृत विकास हेतु संविधान के अनुच्छेद 243 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये।''

(4) श्री पुष्कर सिंह धामी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी पर चर्चा एवं विचार **(10 मिनट)**

''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में टनकपुर स्थित 'मां पूर्णागिरी धाम' हेतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं प्रदेश की राजधानी देहरादून से रेलवे लाईन का निर्माण, क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति एवं जन सामान्य के हित में तथा पर्यटन के दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।''

(5) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी पर चर्चा एवं विचार **(10 मिनट)**

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।''

(6) श्री विशन सिंह चुफाल, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा एवं विचार **(10 मिनट)**

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में विकास खण्डों की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, विकास खण्डों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

3. <u>वर्तमान सत्र के असरकारी संकल्प–</u>

1. श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा एवं विचार **(10 मिनट)**

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है, कि उत्तराखण्ड को देवभूमि के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने हेतु जनहित व प्रदेश सरकार शराब बन्द किये जाने पर विचार करें।''

2. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा एवं विचार **(10 मिनट)**

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है, कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों एवं शहीदों के आकांक्षाओं के अनुरूप गैरसैंण, जनपद चमोली को उत्तराखण्ड राज्य की स्थायी राजधानी घोषित किया जाय।''

4. <u>नियम–105 के प्रस्ताव</u>

(1) श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा एवं विचार **10 मिनट)**

''उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।''

(2) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा एवं विचारः– **(10 मिनट)**

''राज्य में नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यो के संचालन हेतु संयुक्त रूप से सम्बन्धित निकायों के अधिकारियों/ मेयर/ अध्यक्ष/पार्षद/सदस्यों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाय।'

(3) श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा एवं विचारः– **(10 मिनट)**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना का उचित मूल्य एंव गन्ना मूल्य के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने कि लिये विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाय, जो एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट देगी।''

(4) श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य, विधान सभा द्वारा 21 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा एवं विचार **(10 मिनट)**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में औद्योगिक आस्थानों में छोटे–छोटे उद्योगों को आवंटित भूमि निर्धारित शर्तो पर लीज में दी गयी थी, को फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिया जाय।''

(5) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा एवं विचारः– **(10 मिनट)**

''यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि मध्याह्न भोजन में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए, इस योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना को लागू करने पर विचार करें। ''

5. <u>नियम–54 की सूचना</u>

(1) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा एवं विचारः– **(10 मिनट)**

''प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।''

(2) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा एवं विचारः– **(10 मिनट)**

''प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाय जो निश्चित समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी''

(3) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा एवं विचारः– **(10 मिनट)**

''प्रदेश में आयी भीषण आपदा के बाद प्रदेश की चार धाम यात्रा में घटती यात्रियों की संख्या एवं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के घटते आकर्षण के दृष्टिगत प्रदेश में यात्रियों को आकर्षित करने तथा देश की जनता का प्रदेश के प्रति घटते विश्वास को प्राप्त करने के लिये एक कार्ययोजना बनायी जाय।''

(4) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा एवं विचारः– **(10 मिनट)**

''प्रदेश के धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रदेश में किसी धार्मिक उद्देश्य से बनाये गये ट्रस्ट / सोसाईटी अथवा समिति द्वारा चलाये जा रहे मठ/मन्दिर/आश्रम पर राज्य सरकार द्वारा पानी/बिजली/सीवरेज/हाउस टैक्स आदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाय।''

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि नियम–58 के अन्तर्गत मा0 सदस्य श्री चन्दन राम दास, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री पूरण सिंह फर्त्याल, श्री अजय भट्ट, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री गणेश जोशी, श्री मदन कौशिक, श्री आदेश चौहान तथा श्री अरविन्द पाण्डेय एवं श्री आदेश चौहान की कुल 8 सूचनाए प्राप्त हुई है, वे इनमे से श्री अजय भट्ट, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री गणेश जोशी तथा श्री मदन कौशिक, श्री आदेश चौहान एवं श्री अरविन्द पाण्डेय की सूचनाओं को ग्राहयता पर सुन लेंगे। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं। श्री अध्यक्ष ने सूचनाए प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों का नाम पुकारा परन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा सूचना प्रस्तुत नही की गयी।

12 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3:00 बजे तक के लिए स्थगित की।

सदन की कार्यवाही 3:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के कई मा0 सदस्य गैरसैंण परिसर के सम्बन्ध में नियम–310 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा कराने की मांग को लेकर जोर–जोर से बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

नियम–310 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा कराने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के मा0 सदस्यों ने सदन का बहिगर्मन किया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखण्ड भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखण्ड भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य किसान आयोग विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य किसान आयोग विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में विचार किया जाय।

संसदीय कार्य मंत्री ने विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत किये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 52, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में यथा संशोधनों सहित पारित किया जाय।

संसदीय कार्य मंत्री ने विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत किये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 53, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव किया कि हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय विधेयक 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा निदेशों के अनुसरण में यथा संशोधनों सहित पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

वित्त मंत्री प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध विधेयक 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 15, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कायमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध विधेयक 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि

''यह सदन 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक (ख) एवं (ग) के क्षेत्रान्तर्गत 'संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014' द्वारा प्रस्तावित संशोधन, जैसा कि भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, का अनुसमर्थन करता है।'' प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 4:00 बजे तक के लिए स्थगित की।

सदन की कार्यवाही 4:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2016–17 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत की।

संसदीय कार्य मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि ''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि 23 अप्रैल, 1930 को पेशावर अवज्ञा आन्दोलन के अमर नायक वीर चन्द्र सिंह ''गढवाली'' को भारत रत्न प्रदान किया जाय।''

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी एवं मा0 सदस्य श्री गणेश गोदियाल ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव पर अपने उदगार व्यक्त कहा कि अगले वर्ष से वीर चन्द्र सिंह गढवाली के जन्मदिवस को राज्य मेला के रुप में मनाया जाएगा तथा प्रस्ताव को पारित करने पर बल दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि ''यह सदन केन्द्र सरकार का ध्यान उनकी मुद्रा नीति से किसानों, छोटे व्यापारियों तथा मजदूरों एवं जनसाधारण के समक्ष उत्पन्न हो गयी समस्या की ओर आकर्षित करता है तथा अनुरोध करता है कि केन्द्र सरकार तत्काल मुद्रा उपलब्धी की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

यदि इस संबंध में राज्य सरकार का कोई सहयोग अपेक्षित है तक केन्द्र सरकार हमें निर्देशित करे हम पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हैं।''

परिवहन मंत्री श्री नवप्रभात ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि

''उत्तराखण्ड के जनपद चमोली के गैरसैण में भरारीसैण में राज्य की सर्वोच्च सभा की पीठ को अवसंरचित किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखण्ड प्रदेश प्राचीनकाल से ही लोक जागरुकता का ध्वजवाहक रहा है। यहां का जनमानस सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षक और पालनकर्ता रहा है। हमने सविनय दृढ़ शान्तिपूर्ण आन्दोलन के माध्यम से हजारों लाखों उत्तराखण्डवासियों के त्याग और बलिदान से वर्ष 2000 में अलग राज्य पाया और तब से अब तक तीन बार हमारे प्रदेश में निर्बाध सत्ता परिवर्तन

एवं सत्ता हस्तान्तरण हुआ है जो हम भारतवासियों के भीतर पल्लिवत एवं पोषित संसदीय लोकतांत्रिक मूल्यों की गहरी जड़ों के कारण संभव हुआ है। अतः देश तथा प्रदेश की उच्चतम संसदीय प्रथाओं के सुयोग्यक्रम में समुचित होगा कि राज्य की यह सर्वोच्च सभा पीठ संसदीय लोकतंत्र को और अधिक पुष्ट, संर्वधित एवं प्रकाशवान बनाने में अपना योगदान दे।

इस हेतु मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य की विधान सभा का गैरसैंण स्थित इस परिसर में एक अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए।

भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भी उत्तराखण्ड दौरे के दौरान 18 मई, 2015 को उत्तराखण्ड विधान सभा को अपने सम्बोधन में विद्याअर्जन के लिए प्राचीनकाल से प्रसिद्ध उत्तराखण्ड में संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण का एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार परिकल्पित किया था। उनके अनुसार संसदीय लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने तथा संसदीय शासन तंत्र में विभिन्न पक्षों के क्षमता विकास हेतु इस प्रकार के संस्थान की स्थापना की समसामायिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को क्षमता विकास के माध्यम से सुदृढ़ करने में एक अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय संस्थान तथा संग्रहालय की स्थापना कर उत्तराखण्ड विधान सभा शीर्षकारी एवं प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है।

यह संस्थान लोकतंत्र की विभिन्न संसदीय निकायों, प्रक्रियाओं एवं विधाओं के सुव्यवस्थित अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र के रुप में कार्य करेगा। एक लोकतंत्र में कई सारे पक्ष होते हैं जो इसके क्रियान्वयन में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। इनमें मा0 सदस्य, कार्यपालिका के सदस्य संसदीय एवं विधायिका के सचिवीय व न्द के अधिकारी कर्मचारी, सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, सिविल सेवा के सदस्य, मीडीया, गैर सरकारी संस्थाएं, विद्यार्थी, सिविल सोसाइटी एवं आम नागरिक सभी सम्मिलित हैं। संसदीय एवं विधायी मामलों में इन सभी पक्षें का संवेदीकरण, प्रबोधन एवं क्षमता विकास लोकतंत्र की जड़ों को प्रदेश तथा देश में और अधिक गहरा करेगा तथा देश के अन्तिम व्यक्ति तक लोकतंत्र की मरहमकारी उत्प्रेरणा पहुंच सकेगी जिससे देश शीघ्र एक विकसित राष्ट्र बनेगा।

संस्थान के मुख्य क्रियकलापों में बेहतर लोकतांत्रिक निति निर्माण एवं सुव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों की संसद एवं विधायिकाओं, सरकारों एवं अन्य हितधारकों तथा समान प्रकति के अन्य संसस्थानों से समन्वय एवं चिन्तन मनन करना सम्मिलित होगा। विश्व के कई देश शनैः शनैः लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अंगीकृत कर रहे हैं। इन देशों में संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं एवं संस्थानों के क्षमता विकास के लिए भी यह संस्थान संवेदीकरण, प्रबोधन, प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं के माध्यम से कार्य करेगा। अपने कायै में समान प्रकृति के अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझा कार्यक्रमों को चलाना, पाठयक्रम का तुलनात्मक आदान प्रदान, प्रशिक्षकों का पूल बनाना आदि के माध्यम से एक विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करना भी सस्थान का एक मुख्य उददेश्य होगा। इसके अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न घटनाक्रमों तथा उभरती हुई चुनौतियों एवं योग्य अवसरों के अनुरुप यथावश्यकता क्रियाकलाप, गतिविधियां एवं उददेश्य संस्थान के स्थापना ज्ञाप में जोड़े अथवा घटाए जा सकते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि सदन इस अनुरोध को एकस्वर पारित करे।''

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 03 सूचनाएं प्राप्त हुईं, वे इनमें से–

मा0 सदस्य श्री चन्दन राम दास की सूचना जो कि प्रदेश में रमसा योजना में कार्यरत् शिक्षकों को विगत छः माह से वेतन न मिलने के कारण व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री मदन कौशिक की सूचना जो कि प्रदेश में डेंगु चिकनगुनिया बुखार के कारण हजारो प्रदेशवासियों को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहा हूँ।

सदन की कार्यवाही 04 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।